

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 316]

रायपुर, मंगलवार, दिनांक 7 दिसम्बर 2010—अग्रहायण 16, शक 1932

सामान्य प्रशासन विभाग

(शासकीय कर्मचारी कल्याण शाखा)

मंत्रालय, दारू कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 7 दिसम्बर 2010

अधिसूचना

क्रमांक एफ 6-10/2004/1-9.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल एतद्द्वारा, राज्य शासन सेवा के उत्कृष्ट खिलाड़ियों की भर्ती तथा सेवा की शर्तों के संबंध में निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ :—

(एक) ये नियम छत्तीसगढ़ राज्य शासकीय सेवा में उत्कृष्ट खिलाड़ी भर्ती नियम, 2010 कहलायेंगे.

(दो) ये नियम “छत्तीसगढ़ उत्कृष्ट खिलाड़ियों को शासकीय सेवा में नियुक्ति करने की नीति, 2007 (अधिसूचना 18 अक्टूबर, 2007) से शासित होंगे.”

(तीन) ये नियम राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे.

सचिव को प्रस्तुत करेंगे एवं सामान्य प्रशासन विभाग के साथ-साथ खेल विभाग को भी संसूचित करेंगे। अभ्यर्थी द्वारा शैक्षणिक योग्यता तथा अन्य योग्यता संबंधी अर्हताओं को पूर्ण करने की स्थिति में आयोग से अनुमोदन अभिप्राप्त करने के पश्चात् विभाग, उसकी जांच/अनुमोदन अभिप्राप्त करने हेतु उसे मंत्रि-परिषद् को अप्रेषित करेंगे तथा मंत्री-परिषद् से जांच/अनुमोदन अभिप्राप्त करने के पश्चात् ही, नियुक्ति प्राधिकारी, संबंधित उत्कृष्ट खिलाड़ी को नियुक्ति आदेश जारी करेगा। चयनित उत्कृष्ट खिलाड़ियों की नियुक्ति रिक्त पदों की उपलब्धता के अनुसार ही दी जायेगी।

4. **नियुक्ति के लिए पात्रता :—** उत्कृष्ट खिलाड़ियों की नियुक्ति के लिए पात्रता वही होगी जो छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 में निर्धारित है।
 - (क) वह अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ राज्य का स्थानीय निवासी हो।
 - (ख) उत्कृष्ट खिलाड़ियों के शासकीय सेवा में नियुक्ति हेतु आयु सीमा के संबंध में ऐसे निर्देश लागू होंगे जैसा कि सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी किया जाए।
 - (ग) उत्कृष्ट खिलाड़ियों की नियुक्ति हेतु न्यूनतम शैक्षणिक अर्हताएं एवं अन्य अर्हताएं वही होगी जो विभागीय सेवा भर्ती नियमों में विनिर्दिष्ट है।
5. **आरक्षण :—** उत्कृष्ट खिलाड़ियों की नियुक्ति के लिए छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 तथा महिलाओं, निःशक्तजनों तथा भूतपूर्व सैनिकों के लिये सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आरक्षण संबंधी निर्देश एवं उसमें विहित किये गये नियम/निर्देश भी लागू होंगे।
6. **परिवीक्षा :—** सेवा में भर्ती किये गये प्रत्येक उत्कृष्ट खिलाड़ी के लिये परिवीक्षा अर्थात् विभागीय सेवा भर्ती नियमों के अनुसार होगी।
7. **अन्य शर्तें :—**
 - (एक) नियुक्त उत्कृष्ट खिलाड़ी छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 से शासित होंगे।
 - (दो) उस विशिष्ट पद पर एक बार नियुक्त किये जाने के उपरांत उत्कृष्ट खिलाड़ी अपनी नियुक्ति के पद या स्थान परिवर्तन के संबंध में कोई भी अन्य आवेदन (मांगपत्र) प्रस्तुत नहीं करेंगे यदि उसे इस प्रकार करते हुए पाया जाता है तो वर्तमान में नियुक्त किये गये शासकीय पद के लिए उसे अपात्र घोषित किया जाएगा।
 - (तीन) लोक सेवा आयोग के माध्यम से भर्ती किये जाने वाले उन पदों के संबंध में जो कि अभ्यर्थियों की पात्रता से संबंधित है, के लिए आयोग का विनिश्चय अंतिम होगा तथा उस पर बंधनकारी होगा।
 - (चार) ऐसे उत्कृष्ट खिलाड़ी जो भारत सरकार अथवा राज्य शासन के विभागों या निगमों/मण्डलों/आयोग/उपक्रमों में नियोजित हों, वे नियुक्ति के लिए आवेदन करने हेतु पात्र नहीं होंगे।
8. **निर्वाचन :—** यदि इन नियमों के निर्वाचन के संबंध में, कोई प्रश्न उद्भूत हो तो उसे शासन को निर्दिष्ट किया जायेगा जिस पर उसका निर्णय अंतिम होगा।

Raipur, the 7th December 2010

NOTIFICATION

No. F 6-10/2004/1-9.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh, hereby makes the following rules relating to the recruitment and conditions of service of Distinguished Players of the State Government Service, namely :—

1. Short Title and Commencement :—

- (i) These rules may be called "The State of Chhattisgarh, Distinguished Players in the Government Service Recruitment Rules, 2010".

Higher Education & Technical Education Department, Scheduled Caste Scheduled Tribe Backward Class & Minority Welfare Department, Sports & Youth Welfare Department and further the Distinguished Player shall submit his/her application to the Departmental Secretary and intimate the General Administration Department as well as Sports Department. The department after ensuring the suitability with regard to Educational as well as other relevant qualifications of eligible candidates shall forward the application for obtaining approval from the Commission and thereafter the department shall forward the same to the Cabinet for getting their vetting/approval. And only after getting the vetting/approval from the Cabinet, the Appointing Authority shall issue the appointment order to the concerned Distinguished Player. the recruitment of selected distinguished player is strictly subject to availability of vacant posts.

4. **Eligibility for Appointment :—** Eligibility for appointment of Distinguished Players shall be the same as prescribed in the Rules of Chhattisgarh Civil Services (General Conditions of Service) Rules, 1961.
 - (a) The candidates shall be local domicile of State of Chhattisgarh.
 - (b) For appointment of Distinguished Players in Government service, the intructions of age limit as issued from time to time by the General Administration Department shall be applicable.
 - (c) Minimum Educational Qualifications and other qualifications for appointment of Distinguished Players are same as specified in the Departmental Service Recruitment Rules.
5. **Reservation :—** Chhattisgarh Public Service Commission (Scheduled Caste, Scheduled Tribes and Other Backward Classes Reservation) Act, 1994 and directions regarding reservation for Women, Handicapped and Ex-servicemen issued by General Administration Department from time to time and Rules/Instructions prescribed therein shall also be applicable to the appointment of Distinguished Players.
6. **Probation :—** The probation period for Every Distinguished Player recruited to the Government service shall be as per the Departmental Service Recruitment Rules.
7. **Other Conditions :—**
 - (i) Appointed Distinguished Players shall be governed by Chhattisgarh Civil Services (Conduct) Rules, 1965.
 - (ii) Once appointment is made to a particular post, the Distinguished Player should not submit any further requisition with regard to change of post or place of his appointment. If he/she found doing so, he/she would be decared unfit for the present appointed government post.
 - (iii) The Commission's decision is final and binding upon so far as eligibility of candidates is concerned with regard to the posts that are to be recruited through the Public Service Commission.
 - (iv) Such Distinguished Players who are already employed in the Departments or Corporations/Boards/Commission/Undertakings of Government of India or State Government shall not be eligible for applying for appointment.
8. **Interpretation :—** If any question arises relating to the interpretation of these rules, it shall be referred to the State Government whose decision thereon shall be final.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. के. टोप्यो, अतिरिक्त सचिव.